RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र संख्या 38 / 2025, **GCMS NO. 2025/139**

प्रार्थी–

1. श्री पेमाराम पुत्र वरदारामजी जाति पुरोहित निवासी महिलावास, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. श्री मांगीलाल पुत्र राणमल जाति पुरोहित निवासी महिलावास, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।
2. श्री सरपंच ग्राम पंचायत महिलावास, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 विरूद्ध पट्टा संख्या 01 दिनांक 28.05.2010 जो अप्रार्थी संख्या 1 के नाम ग्राम पंचायत महिलावास द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री कपील श्रीमाली, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री कैलाशपुरी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांकः–17.03.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत महिलावास द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी पट्टा संख्या 01 दिनांक 28.05.2010 के विरूद्ध दिनांक 05.08.2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत महिलावास द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 के नियम के तहत मौजा महिलावास में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 01 दिनांक 28.05.2010 को जारी किया गया। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बालोतरा

3. प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ ग्राम पंचायत महिलावास से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब में कथन किया कि उक्त प्रश्नगत पटटा संख्या 01 दिनांक 20.05.2010 अप्रार्थी संख्या 1 मांगीलाल के नाम का विधि की पूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए ग्राम पंचायत, मायलावास द्वारा जारी किया गया है तथा उक्त पटटा ग्राम पंचायत, मायलावास द्वारा जारी होने के बाद दिनांक 01.06.2010 को उप पंजीयक कार्यालय सिवाना से पंजीयन अधिनियम, 1908 के प्रावधानो के तहत पंजीबद्ध करवा दिया है। उक्त आलोच्य पटटा संख्या 01 एक रजिस्ट्रर्ड विक्रय–विलेख का दस्तावेज है, जिसे शुन्य एवं निष्प्रभावी घोषित करने का क्षेत्राधिकार श्री न्यायालय को नही है, एक पंजीकृत विक्रय विलेख को श्री न्यायालय द्वारा मात्र निगरानी की शक्तियो के तहत अपास्त नही किया जा सकता है, इसका समुचित उपचार नियमित वादपत्र के माध्यम से केवल सक्षम सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है। प्रार्थी पेमाराम द्वारा वादी के भूखंड के बदिशा पश्चिम में जबरदस्ती गली बताने की गरज से एक दीवानी वाद संख्या 21/2017 बअनवान पेमाराम बनाम जबरसिंह श्री सिविल न्यायाधीश सिवाना की न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी को दिनांक 25.09.2017 से ही प्रार्थी संख्या 1 मांगीलाल के पट्टा संख्या 01 की जानकारी है फिर भी वादी ने 15 साल बाद लंबा समय व्यतीत कर उक्त पट्टे को निरस्त करने हेतु निगरानी पेश की है, जो निगरानी म्याद बाहर है। प्रार्थी पेमाराम ने पूर्व में भी एक दीवानी वाद संख्या 21/2017 सिविल न्यायालय सिवाना के समक्ष प्रस्तुत किया था. जिसके साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र 27/2017 प्रस्तुत किया था, जो सिविल न्यायालय द्वारा इस आधार पर खारिज किया गया कि मौके पर किसी प्रकार का कोई गली रास्ता न होकर अनिगराकार संख्या 1 मांगीलाल का पट्टासुदा भूखंड है। जिसके विरूद्ध प्रार्थी पेमाराम ने दीवानी अपील संख्या 9/2018 बअनवान पेमाराम बनाम् जबरसिंह जिला न्यायाधीश महोदय बालोतरा के समक्ष प्रस्तुत की, जो अपील पेमाराम की खारिज की गई। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पटटा जारी करने में पंचायीतराज अधिनियम 1996 के सभी नियमों की पालना की गयी है व पटटा वैधानिक तौर पर जारी किया गया है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 का पटटा संख्या 01 जारी दिनांक 28.05.2010 को सही व न्यायोचित जारी किया गया है तथा सभी नियमों की पालना करते हुए जारी होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से तथा म्याद बाहर होने से खारीज करने का आदेश फरमावे।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बालोतरा

5. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस में यह कथन किया कि यह है कि प्रार्थी ग्राम महिलावास का रहवासी है तथा महिलावास में स्थित सुराणियों की वास में निगरानीकार का रहवासीय मकान आया हुआ है। प्रार्थी के रहवासीय मकान के बदिशा पूर्व में मौके पर सार्वजनिक गली स्थित आई हुई है, जो आम ग्रामीणों के बीच में सुराणियों की वास के नाम से जानी जाती है। उपरोक्त गली में आस पडौस के ग्रामीणों के दरवाजे, खिड़कियां इत्यादी खुली हुई है तथा उपरोक्त सार्वजनिक गली लम्बे समय से ग्रामीणों द्वारा आवागमन किया जा रहा था। मगर अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा गलत तरीके से ग्राम पंचायत महिलावास के तत्कालीन सरपंच एवं पंचायत कर्मचारियों से मिलावट करके मौके पर अपने रहवासीय मकान का पट्टा बनाते वक्त सार्वजनिक गली के हिस्से की भूमि को भी स्वयं के कब्जे व स्वामित्व की भूमि होना बताया तथा पट्टा प्राप्त कर लिया गया। अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा स्वयं के हक में पट्टा निष्पादित करते वक्त सार्वजनिक गली के हिस्से को भी स्वयं के हिस्से की भूमि होना बताया जाकर पट्टा प्राप्त कर लिया है, जबकि उपरोक्त सार्वजनिक गली आम जन के आवागमन के रूप में उपयोग उपभोग में ली जा रही है। अप्रार्थी संख्या 2 का वादग्रस्त भूखण्ड पर कभी कोई कब्जा नही रहा, न ही उसका कोई हक स्वामित्व ही रहा है। बावजूद उसके अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के पट्टा जारी करने से सम्बंधी नियमों की अनदेखी करके उक्त पट्टा जारी किया हैं। उक्त पट्टा संख्या 01 जो कि नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया हैं, जो कि गलत तौर से जारी किया गया हैं। उक्त प्रावधान के अनुसार आवंटी का 50 वर्ष से पुराना कब्जा होना आवश्यक हैं, जबकि अप्रार्थी संख्या 2 का वादग्रस्त भूखण्ड पर 50 वर्षों से अधिक समय से कोई कब्जा नही रहा हैं और न वर्तमान में हैं। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत किसी प्रकार की सार्वजनिक सूचना या नोटिस भूखण्ड व आम चौराहे पर चस्पा नही किया गया, मात्र कागजी कार्यवाही करते हुए आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं। उक्त आलोच्य पट्टा जारी किया गया, जिसमें न तो पट्टा आवेदन पत्र में आवेदक हस्ताक्षर है, न ही सरपंच के हस्ताक्षर है। आबादी भूमि के निरीक्षण का पपत्र में तीन सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं है एवं बयान फार्म व आदेशिका भी रिक्त है। इस प्रकार उक्त पट्टा विलेख जारी करने मे अप्रार्थी संख्या 2 ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 मे बताये नियम 145 से 158 तक के किसी भी नियम की पालना नहीं की गई। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत महिलावास द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे जारी पटटा संख्या 01 दिनांक 28.05.2010 को निरस्त करने का आदेश फरमावे।

जिला कलक्टर
बालोतरा

6. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस में यह कथन किया कि उक्त प्रश्नगत पटटा संख्या 01 दिनांक 20.05.2010 अप्रार्थी संख्या 1 मांगीलाल के नाम का विधि की पूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए ग्राम पंचायत, मायलावास द्वारा जारी किया गया है तथा उक्त पटटा ग्राम पंचायत, मायलावास द्वारा जारी होने के बाद दिनांक 01.06.2010 को उप पंजीयक कार्यालय सिवाना से पंजीयन अधिनियम, 1908 के प्रावधानो के तहत पंजीबद्ध करवा दिया है। उक्त आलोच्य पटटा संख्या 01 एक रजिस्ट्रर्ड विक्रय–विलेख का दस्तावेज है, जिसे शुन्य एवं निष्प्रभावी घोषित करने का क्षेत्राधिकार श्री न्यायालय को नही है, एक पंजीकृत विक्रय विलेख को श्री न्यायालय द्वारा मात्र निगरानी की शक्तियो के तहत अपास्त नही किया जा सकता है, इसका समुचित उपचार नियमित वादपत्र के माध्यम से केवल सक्षम सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है। निगरानी में यह देखा जाना है कि पट्टा जारी करते समय क्या अनियमितता की गई है। अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी पटटा संख्या 01 ग्राम पंचायत मायलावास द्वारा 50 वर्षों से अधिक पुराने कब्जे के गृहों के विनियमितिकरण के तहत धारा 157 (1) पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानो की पूर्ण पालना करते हुए जारी किया गया, तथा संकल्प संख्या 2 दिनांक 20.05.2010 लेकर ग्राम पंचायत की पूर्ण बैठक में प्रस्ताव के अनुसरण में रसीद संख्या 5 दिनांक 28.05.2010 रूपये 200/– का शुल्क जमा कर ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए उक्त पट्टा जारी किया गया है। जिसमें पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार की विधिक प्रक्रिया की अवहेलना नहीं की है। उक्त प्रश्नगत पटटा के भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 01 के दादा के समय से कब्जासुदा है तथा सन् 1960 में अप्रार्थी संख्या 01 के दादा के समय से कच्चे तामीरात बने हुये थे। उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में मकान निर्माण, विद्युत एवं जल कनेक्शन हेतु अनापति प्रमाण पत्र जारी की गई व ग्राम पंचायत द्वारा इस हेतु शुल्क भी लिया। मौका कमेटी द्वारा मौका निरिक्षण कर सम्पूर्ण भुजाओ का नाप कर विधिनुसार पूर्ण विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए जारी किया गया जिसके पश्चिमी पडौस वजाजी सोनाजी पुरोहित अर्थात वादीगण है वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य किसी भी प्रकार की कोई गली न तो थी नही आज रोज है। प्रार्थी पेमाराम द्वारा वादी के भूखंड के बदिशा पश्चिम में जबरदस्ती गली बताने की गरज से एक दीवानी वाद संख्या 21/2017 बअनवान पेमाराम बनाम जबरसिंह श्री सिविल न्यायाधीश सिवाना की न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी को दिनांक 25.09.2017 से ही प्रार्थी संख्या 1 मांगीलाल के पट्टा संख्या 01 की जानकारी है फिर भी वादी ने 15 साल बाद लंबा समय व्यतीत कर उक्त पट्टे को निरस्त करने हेतु निगरानी पेश की है, जो निगरानी काल बाधित होने से काबिल खारिज योग्य हैं। उक्त लंबे समय को

जिला कलक्टर
बालोतरा

कण्डोन करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है। प्रार्थी के भूखंड के बदिशा पूर्व में किसी प्रकार की कोई गली न तो थी न ही अवस्थित हैं। प्रार्थी के मुख्य दरवाजा बदिशा पश्चिम में स्थित गली में से होते हुए आम चौहटे पर जाया जाता हैं। प्रार्थी पेमाराम ने पूर्व में भी एक दीवानी वाद संख्या 21/2017 सिविल न्यायालय सिवाना के समक्ष प्रस्तुत किया था. जिसके साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र 27/2017 प्रस्तुत किया था, जो सिविल न्यायालय द्वारा इस आधार पर खारिज किया गया कि मौके पर किसी प्रकार का कोई गली रास्ता न होकर अनिगराकार संख्या 1 मांगीलाल का पट्टासुदा भूखंड है। जिसके विरूद्ध प्रार्थी पेमाराम ने दीवानी अपील संख्या 9/2018 बअनवान पेमाराम बनाम् जबरसिंह श्रीमान् जिला न्यायाधीश महोदय बालोतरा के समक्ष प्रस्तुत की, जो अपील पेमाराम की खारिज की गई। ग्राम पंचायत मायलावास द्वारा तत्समय ही निर्माण हेतु मांगीलाल के पक्ष में एनओसी जारी कर दी तथा मौका निरीक्षण कर विधिनुसार पट्टा व एनओसी जारी कर पूर्ण प्रक्रिया का पालन किया गया हैं। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पटटा जारी करने में पंचायीतराज अधिनियम 1996 के सभी नियमों की पालना की गयी है व पटटा वैधानिक तौर पर जारी किया गया है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 का पटटा संख्या 01 जारी दिनांक 28.05.2010 को सही व न्यायोचित जारी किया गया है तथा सभी नियमों की पालना करते हुए जारी होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से तथा म्याद बाहर होने से खारीज करने का आदेश फरमावे।

7. हमने पत्रावली में उभयपक्ष के अधिवकतागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम पंचायत महिलावास द्वारा पंचायत की बैठक में संकल्प संख्या 02/20.05.2010 के अनुपालना में आलौच्य पट्टा संख्या 01 दिनांक 28.05.2010 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत महिलावास की ओर से जारी आलौच्य पट्टा के विरूद्ध यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी की मुख्य आपति हैं कि अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियम की अवहेलना करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आलोच्य पट्टा संख्या 01 जारी किया गया है। इस संबंध में अधीनस्थ ग्राम पंचायत महिलावास से उक्त पट्टे संबंधित मूल अभिलेख तलब किया गया, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष 20 वर्षों का कब्जा बताते हुए आवेदन प्रस्तुत किया गया, लेकिन आवेदन कब दिया, का कोई अंकन नहीं पाया गया और न ही आवेदन के साथ अपने स्वामित्व की पुष्टि हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए है तथा आवेदन में न तो पट्टा धारक के हस्ताक्षर है

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

और न ही सरपंच के हस्ताक्षर है। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत किसी प्रकार की सार्वजनिक सूचना या नोटिस भूखण्ड व आम चौराहे पर चस्पा कहॉ पर किया गया, का हस्ताक्षर नहीं होना पाया गया और न ही दिनांक व सरपंच के हस्ताक्षर पाया गया। उक्त आलोच्य पट्टा जारी किया गया, जिसमें न तो पट्टा आवेदन पत्र में आवेदक हस्ताक्षर है, न ही सरपंच के हस्ताक्षर है। आबादी भूमि के निरीक्षण का पपत्र में तीन सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं है एवं बयान फार्म व आदेशिका भी रिक्त है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त पट्टा विलेख जारी करने मे अप्रार्थी संख्या 2 ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 मे बताये नियम 145 से 158 तक के किसी भी नियम की पालना नहीं की गई प्रतीत होता है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने स्वामित्व आधिपत्य का कोई ठोस साक्ष्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली में पेश नहीं किये गये है। हस्तगत प्रकरण में उक्त आलोच्य पट्टा संख्या 01 दिनांक 28.05.2010 जारी करने में पंचायतीराज नियमों की पूरी प्रक्रिया नहीं अपनाये जाने से एवं पैतृक स्वामित्व की पुष्ठि हेतु साक्ष्य नहीं होने से संदिग्ध होना जाहिर होता है। जिससे अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा आलोच्य पट्टा जारी किया गया है, जिसमें पंचायतीराज नियमों के तहत विधिसम्मत एवं स्पष्टता प्रमाणित नहीं होती है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने कथन किया कि हस्तगत निगरानी में उल्लेखित पटटा एक पंजिकृत दस्तावेज है, जिसे श्री न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा किसी भी प्रकार से पुनरिक्षण एवं निरस्त नहीं किया जा सकता है, क्योकि उक्त दस्तावेज पंजिबद्ध होने से इसके सबंध में उत्पन्न सभी विवादो का निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय का है। इस संबंध में शासन सचिव पंचायती राज विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ.4/10/परावि/विधि/संशोधन/2004/3690 दिनांक 13.12.2004 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे को निरस्त किये जाने का क्षेत्राधिकार पंचायतीराज अधिनियम की धारा 97 के तहत न्यायालय जिला कलक्टर को निर्धारित है। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत महिलावास अप्रार्थी संख्या 2 ने राजस्थान पंचायतीराज नियमों में प्रावधित प्रावधानों के विपरित जाकर तथा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आलोच्य पटटा संख्या 01 दिनांक 28.05.2010 को जारी किया है, निरस्त योग्य पाया जाता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 2 सरपंच ग्राम पंचायत महिलावास द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी पटटा संख्या 01 दिनांक 28.05.2010 को जारी किया गया, को राजस्थान पंचायतीराज नियम के प्रावधित

जिला कलक्टर
बालोतरा

विधिक प्रावधानों के विपरित होने से एवं विधिसम्मत नहीं होने से उक्त आलोच्य पट्टा निरस्त किये जाते है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत का विलेख निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेषित हो।

9. निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा